THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

8 AASHWIN, 1944 (S)

No. 490

RANCHI, FRIDAY 30th SEPTEMBER, 2022

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

30th September, 2022

Notification No.- 13/2022 – State Tax

S.O. No. 37, Dated 30th September, 2022--In exercise of the powers conferred by section 168A of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in partial modification of the notifications of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 35/2020-State Tax, dated the 17th August, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 52, dated the 17th August, 2020 and No. 14/2021- State Tax, dated the 23rd June, 2021, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 23rd June, 2021, the Government, on the recommendations of the Council, hereby,-

(i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

(ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;

(iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik
Secretary,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०.13/2022- राज्य कर

एस. ओ. सं. 37, दिनांक 30 सितम्बर, 2022--सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना स०35/2020 राज्य कर तारीख 17 अगस्त, 2020 जो एस. ओ. सं. 52, तारीख 17 अगस्त, 2020 द्वारा झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना स०14/2021, राज्य कर तारीख 23 जून, 2021 जो एस. ओ. सं. 42, तारीख 23 जून, 2021 द्वारा झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशति की गई थी का आंशिक उपांतरण करते हुए-

(i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए कर प्रत्यय इनपुट की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करती है ;

(ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है ।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च 2020 से प्रवृत समझी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 490 -- 50